न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
लक्ष्मीनारायण वगैरह बनाम सरकार
प्र० नं० - 101/2024

पेश की। फिर शामिल मिसल किया गया। वकील वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 21/10/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

21/10/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आदेश से विचाराधीन थी। पत्रावली के उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व वकील वादी की बहस को सुनने बाद वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राज० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया तथा शामिल मिसल किया गया।

निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया।

पत्रावली कार्यवाही पूर्ण होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

| मिसल नं. | तारीख दायर | तारीख फैसला |
| --- | --- | --- |
| 101 / 2024 | 24 / 07 / 2024 | 21 / 10 / 2024 |

1. लल्लूराम पुत्र माधोलाल
2. सत्यनारायण हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम बालकिशनपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभावक
श्री अरविन्द शर्मा :– वकील वादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

—: निर्णय:—

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द शर्मा ने यह वाद विरूद्व प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खाता सं0 233 के खसरा नम्बर 382 रकबा 0.9500है0 स्थित ग्राम चावण्ड का मण्ड पटवार हल्का सायपुरा तहसील जमवारामढ जिला जयपुर स्थित है। जिसको आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त भूमि का नामान्तकरण खोलते समय भूलवश उक्त भूमियों में वादीगण का नाम लल्लूराम, सत्यनारायण पुत्रान महादेव सहंवन से गलत दर्ज कर दिया है जो कि गलत है जबकि वास्तविक में वादीगण का सही नाम लल्लूराम, सत्यनारायण पुत्रान माधोलाल है। उसी अनुसार वादग्रस्त भूमि मे वादीगण का नाम सही अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी में खाता सं0 233 में वादीगण का नाम लल्लूराम, सत्यनारायण पुत्रान महादेव दर्ज चला आ रहा है जबकि वादीगण का वास्तविक नाम लल्लूराम, सत्यनारायण पुत्रान माधोलाल जाति हरियाणा ब्राहमण है जो कि वादीगण के अन्य सरकारी दस्तावेजान जैसे आधार कार्ड, जन आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैक पासबुक इत्यादि व अन्य व अन्य राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता सं0 65, 52, 235 में वादीगण का सही नाम लल्लूराम, सत्यनारायण पुत्रान माधोलाल जाति हरियाणा ब्राहमण अंकित है जो कि सही है जिस कारण वादीगण के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज खाता सं0 233 में वादीगण का नाम लल्लूराम, सत्यनारायण पुत्रान महादेव को दुरूस्त करवाकर उसके स्थान पर सही नाम लल्लूराम, सत्यनारायण पुत्रान माधोलाल जाति हरियाणा ब्राहमण घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः ग्राम चावण्ड का मण्ड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित खाता सं0 233 के खसरा नम्बर 382 रकबा 0.9500है0 में वादीगण का नाम लल्लूराम, सत्यनारायण पुत्रान महादेव के स्थान पर लल्लूराम, सत्यनारायण पुत्रान माधोलाल जाति हरियाणा ब्राहमण घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एल0आर0/24/4923 दिनांक 20.09..2024 को रिपोर्ट/जवाब पेश कर निवेदन किया कि आवेदित भूमि ग्राम चावण्ड का मण्ड के खसरा नम्बर 382 रकबा 0.9500है0 भूमि लल्लूराम, सत्यनारायण पुत्र महादेव के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की अन्य खातेदारी भूमि ग्राम चावण्ड का मण्ड के खाता सं0 235 में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण का नाम सत्यनारायण , लल्लूराम पुत्र माधोलाल दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, राशनकार्ड एवं परिचय पत्र में भी प्रार्थीगण का नाम सत्यनारायण, लल्लूराम पुत्र माधोलाल

दर्ज है तथा ग्रामवासियों से चाही जानकारी अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम माधोलाल बताया गया है। अतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं ग्राम चावण्ड का मण्ड के खाता सं0 235 में दर्ज रिकार्ड नाम अनुसार प्रार्थीगण का नाम ग्राम चावण्ड का मण्ड के खाता सं0 233 मे लल्लूराम, सत्यनारायण पुत्र महादेव के बजाय लल्लूराम, सत्यनारायण पुत्र माधोलाल दर्ज किया जाना उचित होगा।

अतः वकील वादी की बहस सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने पर वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम चावण्ड का मण्ड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित खाता सं0 233 के खसरा नम्बर 382 रकबा 0.9500है0 में वादीगण का नाम लल्लूराम, सत्यनारायण पुत्रान महादेव के स्थान पर लल्लूराम, सत्यनारायण पुत्रान माधोलाल घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 21.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर**

लल्लूराम वगै0 बनाम सरकार

**दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट**

**मु0 नं0 :– 101/2024**

**यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी** श्री ललित मीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम चावण्ड का मण्ड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित खाता सं0 233 के खसरा नम्बर 382 रकबा 0.9500है0 में वादीगण का नाम लल्लूराम, सत्यनारायण पुत्रान महादेव के स्थान पर लल्लूराम, सत्यनारायण पुत्रान माधोलाल घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

डिक्री दिनांक 21.10.2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

**उपखण्ड अधिकारी**
**जमवारामगढ**

| मिलान स्टाप अर्जी दावा | | |
|---|---|---|
| | रुपये | पैसे |
| दई | | |
| टाम्प वकालतनामा | | |
| टाम्प वजूह सबुत | | |
| हन्तानावकील | | |
| र्चा गवाहान | | |
| बतहजराय हुक्मनामा | | |
| त0 | | |
| मेलान | | |

| स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|
| मुदालयह | रुपये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजूह सबुत | | |
| महन्तानावकील | | |
| खर्चा गवाहान | | |
| बबतहजराय हुक्मनामा | | |
| मुत0 | | |
| मिलान | | |

**उपखण्ड अधिकारी**
**जमवारामगढ**